

परिग्रह-पत्र

- 1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।
2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 भू०अ०-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ०प्र० गजट प्रकाशन दिनांक 03/04/2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच०बी०/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकबन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/8-2-2007- 5एच०बी० /2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञप्ति संख्या- 1686/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 10.01.11 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है।

जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	अन्य विवरण
	927	0.024	
	929	0.329	
	931	0.118	
	932	0.076	
	933	0.031	
	934	0.031	
	935	0.033	
	936	0.022	
	937	0.057	
	938	0.095	
	939	0.016	
	940	0.021	
	944	0.031	
	949	0.034	
	950	0.126	
	951	0.120	
	952	0.145	
	953	0.139	
	954	0.158	
	955	0.006	
	957	0.028	
	958	0.057	

1052	0.038	
1053	0.041	
1054	0.161	
1055	0.069	
1056	0.135	
1059	0.445	
1060	0.271	
1061	0.950	
1064	0.487	
1066	0.111	
1067	0.094	
1070	0.910	
1075	7.770	
1077	0.197	
1080	0.025	
1082	0.522	
1084	0.408	
1088	0.253	
1088m	0.126	
1089m	0.114	
1089m	0.101	
1090	0.253	
1091m	0.063	
1091m	0.253	
1092	0.012	
1093	0.013	
1094	0.057	
1096	0.214	
1098	0.272	
1100	0.116	
1101	0.209	
1102	0.144	
1103	0.200	
1105	0.126	
1110	0.391	
1112	0.207	
1113	0.459	
1115	0.927	
1116	0.079	
1117	0.272	
1118	0.856	

Sjio

kalli
Am

10/1

Sherat8

5- उक्त आराजी मे किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।


(कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अमीन,

कार्या० विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक को प्राप्त किया।


(राजेश कुमार वर्मा)

अवर अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-11,


उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।


(पवन वर्मा)

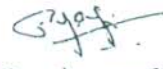
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-11,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित


(बाबूलाल श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी(भू०अ०),
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।


(डी० के० त्यागी)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-11,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

(आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था)

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ



क्रांक-237/एल०ए०सी०/एच०व्यू०-पत्रावली संख्या-

दिनांक 27-2-12

नोटिस

(उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38 के अन्तर्गत नोटिस)

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 (वृन्दावन लखनऊ)" बनायी गयी है। इस योजना के लिए परिषद अधिनियम 1965 की धारा 28 के अधीन नोटिस का प्रथम प्रकाशन उ० प्र० गजट में दिनांक 04.12.99 को किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 28/29 की कार्यवाही के उपरान्त परिषद द्वारा इस योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन के सम्बंध में आवश्यक निर्णय लेया जा चुका है तथा परिषद अधिनियम की धारा 31(2) की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो जाने के उपरान्त इसी अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन विज्ञप्ति दिनांक 03.04.04 को उ० प्र० राजकीय गजट में प्रकाशित हुयी है। प्रश्नगत योजना के संबंध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के आदेश/अधिसूचना दिनांक 21.07.2004 को शासन द्वारा निर्गत की गयी। उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम कल्ली पश्चिम में चकबन्दी होने के फलस्वरूप तत्समय भूमि का कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका। उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पुराने खसरा नम्बर नये खसरा नम्बरों में परिवर्तित हो जाने के कारण परिषद अधिनियम 1965 की धारा-33 व 55 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1608/आठ-2-2007-5एच०बी०/2002 दिनांक 16.08.2007 द्वारा दी गयी स्वीकृति के उपरान्त पुराने खसरा नम्बरों के स्थान पर नये खसरा नम्बरों का संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 को कराया गया तदुपरान्त जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त ग्राम कल्ली पश्चिम की भूमि को करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते द्वारा लिये जाने हेतु प्रतिकर दर रु० 13.50 लाख प्रति बीघा के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुति के संबंध में मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के पत्र संख्या-1431/दिनांक 11.08.2010 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसके कम में उक्त ग्राम की अधिकांश भूमि का कब्जा करार नियमावली के अन्तर्गत किसानों से परिषद द्वारा प्राप्त किया जा चुका है तथा अवशेष भूमि का भी कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत यह नोटिस आपको सूचना हेतु भेजी जा रही है कि परिषद की उपरोक्त योजना में समाविष्ट ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि को परिषद की उपरोक्त योजना के प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की 18.902 हेक्टेयर ग्राम समाज भूमि जिसका विवरण संलग्न है, को एतद्वारा परिषद अपने कब्जे में लेती है और उक्त भूमि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिषद में निहित समझी जायेगी।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38(2) के प्राविधानों के अनुसार ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग जैसी भी स्थिति हो परिषद द्वारा तब तक रखी जायेगी, जब तक धारा 41 के अधीन



104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ, (उ० प्र०) / 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow (UP)

दूरभाष:-0522-2238741, 2238711, 2237723, 2238835, फ़ैक्स-2237609

ई-मेल / upavp@sancharnet.in वेबसाइट / www.upavp.com



2-

AET / 3ECT / Surveyor

-2-

सड़क, या खुले स्थान या उसके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकारी (नगर निगम) में पुर्ननिहित न हो जाय। इसका कोई भी प्रतिकर परिषद द्वारा स्थानीय प्राधिकारी(नगर निगम) को देय नहीं होगा। इस प्रकार धारा 11 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी(नगर निगम) में पुर्ननिहित हो गयी भूमि के बाद उपरोक्त भूमि के अवशेष का प्रतिकर उक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई देय हो तो नगर निगम को भुगतान किया जायेगा।

संलग्न: भूमि का विवरण

गर आयुक्त
गर निगम लखनऊ।

(डा० पी०वी० जगनमोहन)
आवास आयुक्त

तिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
जिलाधिकारी, लखनऊ को संलग्न सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, उ०प्र०आवास विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ।
अधिशारी अभियन्ता, नि०ख०-113-प्र०आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनके प०सं० 217
दिनांक 07.02.12 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में उल्लिखित खसरो की
भूमि का नगर निगम लखनऊ से कब्जा प्राप्त करने का कष्ट करें तथा इस भूमि का अमल दरामद
परिषद पक्ष में कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

लग्नक:-उपरोक्तानुसार

आवास आयुक्त

सकल भूमि विकास गृहस्थान योजना संख्या-4 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-कल्लो पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील न
जिला-लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि का विवरण

क्र० सं०	खसरा संख्या	ग्राम समाज	किस्म जमीन
1	924	0.095	नवीन परती
2	925 क	0.033	नवीन परती
3	925 ख	0.164	बंजर
4	926	0.019	बंजर
5	928 क	0.016	नवीन परती
6	930	0.076	बंजर
7	943	0.016	बंजर
8	944 ख	0.006	बंजर
9	945	0.025	बंजर
10	946	0.114	बंजर
11	947	0.013	बंजर
12	964	0.019	बंजर
13	967	0.019	बंजर
14	986	0.008	बंजर
15	990 ग	1.309	ऊसर
16	1000 क	0.435	बंजर
17	1001	0.588	बंजर
18	1002	0.771	बंजर
19	1003	0.583	बंजर
20	1006	0.253	ऊसर
21	1017	0.164	नवीन परती
22	1020	0.019	बंजर
23	1033	0.052	चकमार्ग
24	1036	0.056	नाली
25	1039	0.087	चकमार्ग
26	1043	0.094	नवीन परती
27	1048	0.167	नाली
28	1049 ख	1.122	ऊसर
29	1057	0.394	नवीन परती
30	1058	0.029	चकमार्ग
31	1063	0.052	नाली
32	1065	0.035	नवीन परती
33	1068	0.081	नाली
34	1069	0.170	चकमार्ग
35	1071	0.057	बंजर
36	1072	0.016	बंजर
37	1076	0.025	चकमार्ग
38	1078	0.025	नाली
39	1079	0.253	नवीन परती
40	1083	0.120	बंजर
41	1085	0.213	नवीन परती
42	1087	0.297	बंजर
43	1088 क	0.126	बंजर
44	1088 ग	0.152	बंजर
45	1089 क	0.101	बंजर
46	1089 इ	0.224	बंजर
47	1090 क	0.114	बंजर
48	1090 घ	0.132	बंजर
49	1091 क	0.152	बंजर
50	1091 ग	0.069	बंजर

12/2/2012